विकास बहल के सम्मुख, जे.

प्रमोद–याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और प्रतिवादी

2019 का सीआरडब्ल्यूपी No.1393

22 फरवरी, 2022

भारत का संविधान, 1950–अनुछेद।14 और 226–दोषियों की समयपूर्व रिहाई–आई. पी. सी. की धारा 302,452,34 के तहत सजा–जिस नीति पर विचार किया जाना चाहिए और समयपूर्व रिहाई के लिए एक दोषी पर लागू किया जाना चाहिए, वह नीति है जो सजा के समय प्रचलित है–वर्तमान मामले में, नीति 12.04.2002 को दिनांक 13–08–2008 की नीति द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, जो एक वैधानिक नीति है और जिसमें वैधानिक बल है–चूंकि दोषी को 2009 में दोषी ठहराया गया था, 2008 की नीति लागू होगी–याचिका खारिज कर दी गई।

यह माना गया है कि उक्त बिंदु पर संपूर्ण कानून और निर्णयों पर विचार करने के बाद, भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिस नीति पर विचार किया जाना है और समय से पहले रिहाई के लिए एक दोषी के मामले में लागू किया जाना है, वह नीति है जो उसके सजा के समय प्रचलित थी।यह भी देखा गया था कि दिनांक 12–04–2002 की नीति भी वास्तव में वित्तीय आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार, जेल विभाग, चंडीगढ़ द्वारा जेल महानिदेशक, हरियाणा, चंडीगढ़ को जारी किया गया एक ज्ञापन था और समय से पहले रिहाई की ऐसी नीति होगी । फिर से 1973 की संहिता के प्रावधानों से पता चल जाएगी और इस प्रकार यह एक वैधानिक नीति है। यह भी माना गया किया कि दिनांक 13–08–2008 की नीति ने राज्य के

राज्यपाल की ओर से प्रकाशित पिछली नीति दिनांक 12–04–2002 को प्रतिस्थापित किया था, और दिनांक 13–08–2008 की नीति को संहिता की खंड 433 के साथ पठित खंड 432 की उप खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 12–04–2002 के सरकारी ज्ञापन के स्थान पर अन्य सभी पूर्व नीतियों को जारी किया गया था, और 13–08–2008 की उक्त नीति एक वैधानिक नीति थी और इसमें वैधानिक बल है और दिनांक 12–04–2002 की नीति को दिनांक 13–08–2008 की नीति की तुलना में अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इसके लिए माननीय राज्यपाल से अनुमोदन की आवश्यकता है और उक्त नीति को विशेष रूप से दिनांक 13–08–2002 की नीति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसलिए इसका संचालन बंद हो जाएगा। जिन दोषियो को 13–08–2008 के बाद दोषी ठहराया गया था।

(पैरा 12)

प्रमोद बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

455

(विकास बहल, जे.)

आगे कहा गया कि, इस प्रकार, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यहा दिए गए फैसले मे की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि यह दिनांक 13–08–2008 की जो नीति है वर्तमान मामलों में प्रासंगिक और लागू होगी और दिनांक 12–04–2002 की नीति जिस पर दोनों मामलों में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस नीति पर भरोसा करने की मांग की गई थी, वह लागू नहीं होगी क्योंकि इसे हटा दिया गया है, और यह 13.08.2008 की नीति है जो सजा के निर्णय दिनांक 10–10–2009 के पारित होने और दिनांक 15–10–2009 के सजा के आदेश के पारित होने के समय प्रचलित थी।

(पैरा 13)

रणदीप एस. ढुल, अधिवक्ता 456

याचिकाकर्ता के लिए सीआरडब्ल्यूपी–1393–2019 में।

गौरव सिंगला, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए सीआरडब्ल्यूपी–1271–2020 में।

मुनीश शर्मा, एएजी हरियाणा।

विकास बहल, जे. (मोखिक)

(1) वर्तमान आदेश संबंधित आदेशों को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर उपरोक्त दो आपराधिक रिट याचिकाओं का निपटारा करेगा, जिसके तहत याचिकाकर्ता के समय से पहले रिहाई के मामलो को खारिज कर दिया गया है।

(2) पहली याचिका, अर्थात सी. आर. डब्ल्यू. पी.–1393–2019 प्रमोद द्वारा दायर की गई है जिसमें चुनौती दिनांक 13.09.2019 के आदेश (अनुलग्नक पी–1) को चुनौती दी गई है और दूसरी याचिका, अर्थात सी. आर. डब्ल्यू. पी.–1271–2020 जय प्रकाश द्वारा दायर की गई है जिसमें दिनांक 11.11.2019 (अनुलग्नक पी–1) को चुनौती दी गई है ।

(3) दोनों याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील और साथ ही राज्य के वकील इस तथ्य पर सहमत हैं कि दोनों विवादित आदेशों में अस्वीकृति के लिए दिए गए कारण समान हैं और संबोधित किए जाने वाले तर्क भी समान हैं, इस प्रकार, दोनों मामलों पर एक साथ विचार किया जाएगा।संबंधित पक्षों के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रमोद के मामले, अर्थात सी. आर. डब्ल्यू. पी.–1393–2019 को प्रमुख मामले के रूप में माना जाए और तथ्यों को विचार के लिए उसी से लिया जाए।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने समय से पहले रिहाई के लिए आवेदन किया था और विवादित आदेश

के अनुसार, समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर दिनांक 13.08.2008 नीति के अनुसार विचार किया गया था ।

जोकि 2008 की नीति के खंड (ए) (एक्स) के आधार पर खारिज कर दिया गया । उन्होंने आगे कहा है कि याचिकाकर्ता के मामले पर दिनांक 12.04.2002 (अनुलग्नक पी–2) की नीति के आधार पर विचार किया जाना चाहिए, जो कि याचिकाकर्ता के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत जारी की गई है, न कि दिनांक 13.08.2008 नीति के तहत, जिसे हरियाणा सरकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 433 के साथ पठित खंड 432 की खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है।उन्होंने आगे कहा है कि हालांकि याचिकाकर्ता की सजा की तारीख 10.10.2009 है और सजा के आदेश की तारीख 15.10.2009 है, और उक्त तिथियां दिनांक 13.08.2008 नीति के बाद की हैं, लेकिन यह नीति दिनांक 12.04.2002 होगी जो याचिकाकर्ता के मामले को नियंत्रित करेगी।उसी के लिए, याचिकाकर्ता ने माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है ।

1 और उक्त निर्णय के पैरा 42 का विशिष्ट संदर्भ दिया गया है।उक्त पैरा नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

“42. हम पहले ही देख चुके हैं कि दिनांक 04.02.1993 नीति के तहत पिछली नीतियां संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत शक्तियों के प्रयोग को संदर्भित करती है, जबकि दिनांक 13.08.2008 नीति दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 433 और 433–ए के साथ पठित खंड 432 के तहत शक्तियों का प्रयोग करती है। सी॰ र ॰ पी. सी. खंड 433–ए के तहत प्रतिबंध केवल खंड 432 Cr.P.C के तहत निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की सीमा तक है।संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत प्रयोग की गई शक्ति स्पष्ट रूप से संविधान का एक अधिदेश है और इसलिए, दिनांक 13.08.2008 की नीति दिनांक 04.02.1993 की नीति को रद्द नहीं कर सकती है।”

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उक्त फैसले पर भरोसा रखते हुए तर्क दिया है कि Cr.P.C की खंड 433 और 433–A के साथ पठित खंड 432 के तहत बनाई गई उस नीति को रद्ध नहीं कर सकती है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत बनाई गई है।

(6) दूसरी ओर, विद्वान राज्य के वकील ने वर्तमान याचिका का जोरदार विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में, सजा की तारीख दिनांक 13–08–2008 की नीति की तारीख के बाद की है यह 13.08.2008 की नीति है 1 (2010) 4 SCC 216 प्रमोद बनाम हरियाणा राज्य और अन्य को नियंत्रित करेगी।

(विकास बहल, जे.)

जो कि 2008 की उक्त नीति पर विचार करते हुए, वर्तमान मामले और विवादित आदेश को सही ढंग से पारित किया गया है।उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि उक्त नीति के अवलोकन से पता चलेगा कि इसमें कहा गया है कि सरकारी ज्ञापन दिनांक 12.04.2002 सहित पिछली सभी नीतियों का अधिक्रमण करते हुए नीति तैयार की गई है । उन्होंने आगे कहा है कि उक्त नीति के खंड (ए) (एक्स) के अनुसार, जो वर्तमान मामले में लागू है, याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई वास्तविक सजा की अवधि उन मानदंडों को पूरा नहीं करती है, जैसा कि उक्त नीति के तहत आवश्यक है जिससे समय से पहले रिहाई के लिए विचार किया जा सके।यह भी तर्क दिया जाता है कि दिनांक 12.04.2002 की नीति भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत जारी नहीं की गई है।रिलायंस को डब्ल्यू. पी. मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा पारित फैसले पर रखा गया है। नं्बर 2014 के WP(सीआरएल.)न: 48 जिसका शीर्षक भारत संघ बनाम V.Sriharan @मुरुगन और अन्य के मामले मे मानीनय सर्वोच्च न्नायालय की सविधानिक पीठ द्वारा पारित फैसले पर रखा गया है । उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

“दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और 433 के तहत शक्ति का प्रयोग उपयुक्त सरकार के लिए उपलब्ध होगा, भले ही इस तरह का विचार पहले राष्ट्रपति द्वारा

अनुच्छेद 72 के तहत या राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 161 के तहत किया गया हो।जहाँ तक इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 को लागू करने का संबंध है, यह माना जाता है कि खंड 432 और 433 के तहत शक्तियों का प्रयोग उपयुक्त सरकार द्वारा वैधानिक रूप से किया जाना है और उक्त शक्ति का प्रयोग करे और इसे हमेशा छोड़ दिया जाता है और यह हमेशा उपयुक्त सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।"

(7) इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और पेपर बुक का अध्ययन किया है।

(8) यह विवाद में नहीं है कि प्रमोद (सी. आर. डब्ल्यू. पी.–1393–2019 में याचिकाकर्ता) और जय प्रकाश (सी. आर. डब्ल्यू. पी.–1271–2020 में याचिकाकर्ता) को अन्य अभियुक्तों के साथ, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद के निर्णय दिनांक 10–10–2009 के द्वारा भा.दं.सं. सी. की खंड 34 के साथ पठित खंड 302 और भा.दं.सं. की खंड 34 के साथ पठित खंड 452 के तहत दोषी ठहराया गया था और उन्हें निम्नानुसार सजा सुनाई गई थीः–

खंड के अंतर्गतः

302/34 सभी तीनों दोषियों/ अभियुक्तों अर्थात प्रमोद, मुकेश और जय प्रकाश को आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर Rs.5000 के जुर्माने के साथ सजा सुनाई गई है। भारतीय दंड संहिता की खंड 302/34 के तहत जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी ।

सभी दोषोयों अभियुक्तों अर्थात प्रमोद, मुकेश और जय प्रकाश को भारतीय दंड संहिता की खंड 452 के खंड 34 के तहत 2 साल के कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर Rs.2500 के जुर्माने के साथ सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी ।

हालांकि, सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।"

(9) सजा के उक्त फैसले के खिलाफ दोनों मामलों में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील को भी इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिनांक 20–03–2013 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।

(10) विवादित आदेशों को नीति के खंड (ए) (एक्स) दिनांक 13.08.2008 पर भरोसा करते हुए पारित किया गया है, जिसे याचिकाकर्ता को उसकी सजा की तारीख को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।उक्त नीति का खंड (ए) (एक्स) नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

(क) जिन दोषियों की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है और जिन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, उन्होंने जघन्य अपराध किया है, जैसे किः –	पूर्व–परिपक्व रिहाई के लिए उनके मामले पर 20 साल की वास्तविक सजा और छूट के साथ 25 साल की कुल सजा के पूरा होने के बाद विचार किया जा सकता है।
xxx	

(क) जिन	पूर्व–

दोषियों की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है और जिन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, उन्होंने जघन्य अपराध किया है, जैसे किः –	परिपक्व रिहाई के लिए उनके मामले पर 20 साल की वास्तविक सजा और छूट के साथ 25 साल की कुल सजा के पूरा होने के बाद विचार किया जा सकता है।
(x) ऐसे दोषी जिन्हें कुछ निश्चित कारणों से जनता के लिए खतरे के बिना समय से पहले रिहा नहीं किया जा सकता है।	

– प्रमोद बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

459

(विकास बहल, जे.)

आदेश और सुरक्षा।	

(11) विवादित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि दोनों याचिकाकर्ताओं और अन्य सह–अभियुक्तों को 70 वर्षीय रिसाल सिंह की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, जो याचिकाकर्ताओं के सह–अभियुक्त (ब्रह्मजीत और बीर सिंह) के खिलाफ गवाह था, जिसने सात लोगों की हत्या की थी । विवादित आदेश में यह कहा गया कि यह स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता को कानून के लिए कोई सम्मान नहीं था और यह समाज के लिए खतरा था और एक गवाह की हत्या आपराधिक न्याया प्रणाली पर सीधा हमला था और उसे हल्के में छोड़ने से समाज पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता था और इस प्रकार यह देखा गया था कि याचिकाकर्ता के मामले पर समय से पहले रिहाई के लिए पुनर्विचार किया जाएगा जब वह धारा ए(एक्स) के अनुसार समय से पूर्व रिहाई नीति दिनांक 13–08–2008 के तहत 20 साल की वास्तविक सजा और 25 साल की कुल सजा से गुजर चुका होगा।यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता ने विवादित आदेश पारित करने की तारीख को 16 साल 9 महीने और 21 दिनों की वास्तविक सजा और 20 साल की कुल सजा काट ली थी जो खंड (ए) (एक्स) के तहत निर्धारित उक्त आवश्यकता से कम थी।वर्तमान तिथि पर भी, याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सजा उस सजा की अवधि से कम है, जिस पर उसे दिनांक 13–08–2008 की नीति के खंड (ए) (एक्स) के अनुसार विचार करने की आवश्यकता है।विवादित आदेश में आगे यह कहा गया कि किसी भी दोषी को माफी का मौलिक अधिकार नहीं है और यह राज्य सरकार है जिसे प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में विचाराधीन सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए माफी की अपनी कार्यकारी/विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करना है और इस प्रकार, समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के मामले को खारिज कर दिया गया था।विवादित आदेश (दोनों वर्तमान याचिकाओं में) सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए पारित किए गए हैं।दिनांक 13.08.2008 नीति को दोनों में से किसी भी मामले में किसी भी याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।यहां तक कि नीति के खंड (ए) (एक्स) को भी चुनौती नहीं दी गई है, न ही इस आशय का कोई तर्क दिया गया है कि उक्त खंड किसी भी तरह से अवैध या कानून के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एकमात्र तर्क यह है कि यह नीति दिनांक 12.04.2002 है, जिसे इन मामलों में लागू किया जाना चाहिए न कि 13.08.2008 की नीति के तहत ।

उक्त तर्क में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवीनतम निर्णय में

हरियाणा राज्य और अन्य बनाम राज कुमार @ बिट्टू 2 हरियाणा सरकार बनाम जगदीश के निर्णय पर विचार करने के बाद

राज्य में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

2 2021(9) एससीसी 292 460

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(1)

3. संविधान और संहिता के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

भारत का संविधान

"अनुच्छेद 161–राज्यपाल की शक्ति क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की होती है।– राज्य के राज्यपाल को किसी मामले से संबंधित किसी कानून के खिलाफ किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, स्थगित करने, विराम देने या कम करने या निलंबित करने की शक्ति होगी, जिसमें राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973

432. सजा को निलंबित करने या माफ करने की शक्ति।– (1) जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सजा सुनाई गई हो, तो उपयुक्त सरकार, किसी भी समय, बिना किसी शर्त के या किसी भी शर्त पर जिसे सजा पाए व्यक्ति स्वीकार करता है, उसकी सजा के निष्पादन को रद्द कर सकती है या सजा के पूरे या किसी भी हिस्से को माफ कर सकती है, जिसके लिए उसे सजा सुनाई गई है।

(2) XXXXXX

(5) उपयुक्त सरकार, सामान्य नियमों या विशेष आदेशों द्वारा, सजा के निलंबन और उन शर्तों के बारे में निर्देश दे सकती है जिन पर याचिकाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए और जिन पर विचार किया जाना चाहिएः

बशर्ते कि अठारह वर्ष से अधिक आयु के पुरुष व्यक्ति को दी गई किसी भी सजा (जुर्माने की सजा के अलावा) के मामले में, सजा पाए व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी किसी भी याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि सजा पाने वाला व्यक्ति जेल में न हो, और –

(क) जहाँ ऐसी याचिका सजा पाए व्यक्ति द्वारा की जाती है, उसे जेल के प्रभारी अधिकारी द्वारा से प्रस्तुत किया जाता है; या (ख) जहाँ ऐसी याचिका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है, उसमें यह घोषणा होती है कि सजा पाए व्यक्ति जेल में है।

(6) XXXXXX

3 (2010) 4 एस. सी. सी. 216 प्रमोद बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

461

(विकास बहल, जे.)

(7) इस खंड में और खंड 433 में अभिव्यक्ति "उपयुक्त सरकार" का अर्थ है –

(क) ऐसे मामलों में जहां सजा किसी अपराध के लिए है, या उप–धारा (6) में निर्दिष्ट आदेश किसी ऐसे मामले के तहत पारित किया जाता है, किसी ऐसे मामले से संबंधित कोई कानून जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, केंद्र सरकार;

(ख) अन्य मामलों में, उस राज्य की सरकार जिसके अन्दर अपराधी को सजा सुनाई जाती है या उक्त आदेश पारित किया जाता है।

433. सजा को कम करने की शक्ति।– उपयुक्त सरकार, सजा पाए व्यक्ति की सहमति के बिना सजा को कम कर सकती है –

(क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सजा के लिए मृत्युदंड;

(ख) आजीवन कारावास की सजा, चौदह वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास या जुर्माने की सजा;

(ग) कठोर कारावास की सजा, किसी भी अवधि के लिए साधारण कारावास जिसके लिए उस व्यक्ति को सजा सुनाई गई हो, या जुर्माना ;

(घ) जुर्माने के साथ लिए साधारण कारावास की सजा।

433–A. कुछ मामलों में छूट या परिवर्तन की शक्तियों पर प्रतिबंध।– धारा 432 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, जिसके लिए मौत कानून द्वारा प्रदान किए गए दंडों में से एक है, या जहां किसी व्यक्ति पर लगाई गई मौत की सजा को खंड 433 के तहत आजीवन कारावास में बदल दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को जेल से तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कम से कम चौदह साल की कारावास की सजा ना काट ली हों।"

4. वर्तमान अपीलों में उठने होने वाला मुद्दा 25–03–2010 को दोषी ठहराए गए कैदी पर दिनांक 12.4.2002 की नीति या नीति दिनांक 13.8.2008 नीति को लागू करने के संबंध में है।

यह न्यायालय हरियाणा राज्य और अन्य बनाम जगदीश अन्य बातों के साथ–साथ आयोजित

(पैरा 52) माना कि दिनांक 04–02–1993 की नीति संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत शक्तियों के प्रयोग को संदर्भित करती है, जबकि दिनांक 13–08–2008 की नीति संहिता की खंड 432 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती है और संहिता की खंड 433 और 433–ए उक्त नीति का एक नियम है ।

इस प्रकार, प्रक्रिया संविधान के अधीन है।अनुच्छेद 161 के तहत प्रयोग की गई शक्ति संविधान का एक जनादेश है, इसलिए, दिनांकित 13.8.2008 की नीति दिनांक 4.2.1993 नीति को रद्द नहीं कर सकती है। यह उक्त निष्कर्ष है जिसकी वर्तमान अपीलों में जांच की जानी आवश्यक है, हालांकि इसी तरह की बाद की नीति दिनांक 12.4.2002 के संदर्भ में । XXX XXX XXX

5. जगदीश में, इस न्यायालय ने साधू सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को मंजूरी नहीं दी

(1984)2 एस. सी. सी. 310 जिसमें यह माना गया था कि ये नीतियां कार्यकारी निर्देश हैं।इसके बजाय, इस न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम महेंद्र सिंह और अन्य (2007) 13 एस. सी. सी. 606 के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले को मंजूरी दे दी, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि छूट की ये नीतियां जेल अधिनियम, 1894 की खंड 59 (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रही हैं, जिसमें "अंक देने और सजा को कम करने" पर विचार किया गया है और इस प्रकार, ये वैधानिक नियम हैं।संहिता की धारा 401 और 402 उपयुक्त सरकार को सामान्य या विशेष आदेश जारी करने और उन शर्तों को लागू करने का अधिकार नहीं दे रही थी जिन पर समय से पहले रिहाई के लिए याचिकाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए और उनसे निपट जाना चाहिए। संहिता की खंड 432 और 433 में संहिता की खंड 401 और 402 में समान प्रावधान थे, लेकिन खंड 432 की उप–खंड (5) एक उपयुक्त सरकार को सामान्य या विशेष आदेश जारी करने का अधिकार देती है।इसलिए, 1.4.1974 पर संहिता के प्रारंभ होने के बाद, छूट की अनुमति देने वाले सामान्य या विशेष आदेश जारी करने की शक्ति संहिता की खंड 432 में पाई जा सकती है।इसलिए, इसके बाद जारी की गई नीतियां वैधानिक प्रकृति की हैं, जिन्हें संहिता की खंड 432 के तहत उपयुक्त सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है।

XXX XXX XXX

14. इसके अलावा, इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण है की किसी कैदी की समय से पूर्व रिहाई पर विचार करने के लिए सजा के समय प्रचलित नीति को ध्यान में रखा जाएगा –

एक कैदी की समय से पहले रिहाई । जगदीश के मामले में, उस नीति का निर्धारण करते समय जो सजा की माफी के लिए लागू होगी, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

"27. महेन्द्र सिंह के मामले में, यह न्यायालय जैसा कि प्रमोद बनाम हरियाणा राज्य और अन्य को संदर्भित करता है।

463

(विकास बहल, जे.)

ऊपर यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे मामलों में लागू नीतिगत निर्णय वही होगा जो उसकी सजा के समय प्रचलित था।यह निष्कर्ष निम्नलिखित आधार पर निकाला गया थाः(एस. सी. सी. पी. 619, पैरा 38)

38. भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत किसी दोषी के संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए, सजा माफी के लिए विचार किए जाने के अधिकार को कानूनी माना जाना चाहिए।इस तरह का कानूनी अधिकार न केवल जेल अधिनियम से बल्कि उसके तहत बनाए गए नियमों से भी उतपन होता है।"

15. समय से पहले रिहाई की नीति दिनांक 13.8.2008 राज्यपाल के नाम पर जारी की गई थी और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।कहा जाता है कि ऐसी अधिसूचना संहिता की खंड 432 और 433 की उप–खंड (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी।ऊपर बताए गए कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी नीति संहिता के प्रावधानों के तहत उपयुक्त सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती है और इस प्रकार यह वैधानिक प्रकृति की है।दूसरी नीति दिनांक 12.4.2002 वास्तव में वित्तीय आयुक्त और हरियाणा सरकार के सचिव, जेल विभाग, चंडीगढ़ द्वारा जेल महानिदेशक, हरियाणा, चंडीगढ़ को जारी किया गया एक ज्ञापन है।समय से पहले रिहाई की ऐसी नीति फिर से संहिता के प्रावधानों से जुड़ी होगी।

16. हरियाणा राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री निखिल गोयल ने कहा कि समय–समय पर अलग–अलग नीतियां जारी की गई हैं।

और बाद की नीति ने पहले की नीति को हटा दिया है, इसलिए समय से पहले रिहाई की नीति लागू होने पर कोई रुकावट नहीं थी या किसी भी समय पर, दोनों नीतियाँ चालू थीं, तो कोई विराम नहीं था। श्री गोयल का तर्क स्वीकार करने के योग्य है क्योंकि दिनांक 12.4.2002 की नीति 8.8.2000 पर प्रसारित पिछली नीति के स्थान पर है जिसे बाद में 23.2.2001 पर प्रतिस्थापित किया गया था। दिनांक 13.8.2008 की नीति ने दिनांक 12.4.2002 की पिछली नीति को प्रतिस्थापित किया है और ऐसी नीति राज्य के राज्यपाल की ओर से प्रकाशित की गई है। दिनांक 13.8.2008 नीति संहिता की खंड 433 के साथ पठित खंड 432 की उप–खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सरकार के अधिक्रमण में जारी की गई है।

ज्ञापन दिनांक 12.4.2002 और अन्य सभी नीतियाँ । दिनांक 13.8.2008 नीति एक सांविधिक नीति है।उक्त नीति संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माफी, छूट या सजा को कम करने के लिए माननीय राज्यपाल में निहित विवेक को अपने अधिकार में लेने की कोशिश नहीं कर सकती है, लेकिन यह एक कानून के तहत जारी की गई नीति है और इसलिए, ऐसी नीति का एक वैधानिक बल है। दिनांक 12.4.2002 की नीति फिर से एक सांविधिक नीति है और इसे दिनांक 13.8.2008 की नीति से उच्च स्तर पर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि इसके लिए माननीय राज्यपाल से अनुमोदन की आवश्यकता है । इस तरह की नीति को विशेष रूप से 13.8.2008 को खत्म कर दिया गया है, जो 13.8.2008 के बाद दोषी ठहराए गए दोषियों के लिए लागू नहीं होती है।

XXX XXX XXX

20. दिनांक 13.08.2008. की नीति का खंड 2 (सी) उन दोषियों से संबंधित है जिन्हें ऐसा अपराध करने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसे भारतीय दंड संहिता 1860 (आई. पी. सी.) में आजीवन कारावास के लिए दंडनीय के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन मौत की सजा के साथ नहीं।ऐसे कैदियों के मामलों पर विचाराधीन अवधि सहित 10 साल की वास्तविक सजा पूरी होने के बाद विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि छूट सहित ऐसी सजा की कुल अवधि 14 साल से कम न हो। अंतर यह है कि ऐसे मामलों में, छूट को ध्यान में रखा जाता है, जबकि भा.दं.सं. सी. की खंड 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए कैदी द्वारा अर्जित छूट, जो मौत की सजा का अपराध है, को समय से पहले रिहाई के लिए नहीं माना जा सकता है।यदि ऐसे कैदी को भा.दं.सं. सी. के तहत किसी अपराध के लिए आजीवन कारावास के मामलों में समय से पहले रिहा करने पर विचार किया जाना है, तो संहिता की खंड 433–ए के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जगदीश के मामले मे दिए गए निर्णय को माननीय राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति और राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति के बीच के अंतर के प्रकाश से पढा जाना चाहिए ।

XXX XXX XXX

22. नतीजतन, विद्वान एकल पीठ द्वारा जारी किए गए निर्देश टिकाऊ नहीं हैं और इन्हें रद्द कर दिया गया है।

23. यहा कैदी ने राज्य द्वारा प्रस्तुत हिरासत प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 06–07–2021 को 12 वर्ष और 25 दिन पूरे कर लिए हैं। प्रमोद बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में कैदी की समय से पहले रिहाई का

(विकास बहल, जे.)

मामला जोकि राज्य सरकार की दिनांक 13–08–2008 की नीति की शर्तें, जो नीति उसकी सजा की तारीख पर लागू थी, उस पर उसके वास्तविक कारावास के 14 साल पूरा करने के बाद ही विचार किया जा सकता है। हालांकि, राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत केवल 14 साल से कम कारावास की सजा भुगतने के बाद

विचाराधीन कैदी को समय से पहले रिहा करने पर विचार कर सकती है।" (12) उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि वही नीतियां, अर्थात दिनांकित 12.04.2002 और 13.08.2008, की नीतियाँ जिन पर वर्तमान मामले में प्रतिस्पर्धा दलो वाले पक्षों द्वारा भरोसा करने की मांग की गई है, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय में विचाराधीन थीं।उक्त बिंदु पर संपूर्ण कानून और निर्णयों पर विचार करने के बाद, भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिस नीति पर विचार किया जाना है और समय से पहले रिहाई के लिए दोषी के मामले में लागू किया जाना है, वह नीति है जो उसकी सजा के समय प्रचलित थी।यह भी देखा गया कि दिनांक 12–04–2002 की नीति भी वास्तव में वित्तीय आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार, जेल विभाग, चंडीगढ़ द्वारा जेल महानिदेशक, हरियाणा, चंडीगढ़ को जारी किया गया एक ज्ञापन था और समय से पहले रिहाई की ऐसी नीति फिर से 1973 की संहिता के प्रावधानों का पता लगाएगी और इस प्रकार यह एक वैधानिक नीति है। यह भी माना गया है कि दिनांक 13–08–2008 की नीति ने राज्य के राज्यपाल की ओर से प्रकाशित पूर्व नीति दिनांक 12–04–2002 को प्रतिस्थापित किया था, और दिनांक 13–08–2008 की नीति को संहिता की खंड 433 के साथ पठित खंड 432 की उप खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 12–04–2002 के सरकारी ज्ञापन के स्थान पर अन्य सभी पूर्व नीतियों को जारी किया गया था, और दिनांक 13–08–2008 की उक्त नीति एक वैधानिक नीति थी और इसमें वैधानिक बल है और दिनांक 12–04–2002 नीति को दिनांक 13–08–2008 नीति की तुलना में अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इसके लिए माननीय राज्यपाल से अनुमोदन की आवश्यकता है मांगती है और उक्त नीति को विशेष रूप से दिनांक 13–08–2008 की नीति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसलिए इसका संचालन बन्द हो जाएगा । जिन दोषियों को 13–08–2008 के बाद दोषी ठहराया गया है ।

(13) इस प्रकार, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यहाँ दिए गए निर्णयो में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि यह दिनांक 13–08–2008 की नीति है जो वर्तमान मामलों में प्रासंगिक और लागू होगी दिनांक 12–04–2002 की नीति पर दोनों मामलों में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस नीति पर

भरोसा करने की मांग की गई थी, वह लागू नहीं होगी क्योंकि इसे वही स्थान निरस्त कर दिया गया है, और यह वही नीति है जो दिनांक 13–08–2008 के समय प्रचलित थी।

दिनांक 10.10.2009 के सजा के निर्णय का पारित होना और दिनांक 15.10.2009 के सजा के आदेश का पारित होना।

(14) उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि दोनों मामलों में विवादित आदेश सही ढंग से पारित किए गए हैं और इस प्रकार इसे बरकरार रखा जाना चाहिए और दोनों वर्तमान याचिकाएं खारिज की जानी चाहिए। तदनुसार, दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है और सीआरडब्ल्यूपी–1393–2019 में दिनांकित 13.09.2019 और सीआरडब्ल्यूपी–1271–2020 में 11.11.2019 के विवादित आदेशों को बरकरार रखा जाता है।

(अस्वीकरण स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में समझ सके और किसी अन्य उदेशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी वयवहारिक और अधिकारक उदेशयों के लिए निर्णय का अँग्रेजी सन्सकरण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्व्यन के उदेशय के लिए उपुयक्त रहेगा)।

विजय कुमार

अनुवादक